अध्याय-8 आधे घंटे की चर्चा.

प्रश्नों के उत्तर से उद्‌भूत किसी लोक महत्व के विषय पर चर्चा.

52. (1) अध्यक्ष सत्र के प्रत्येक सप्ताह के कोई दो दिन कार्य की समाप्ति के लिये नियत समय से ठीक पूर्व आधा घंटा ऐसे पर्याप्त लोक महत्व के विषय पर चर्चा उठाने के लिये नियत करेगा. जो सभा के चालू सत्र अथवा उसके ठीक पूर्वगामी सत्र में किसी प्रश्न का विषय रह चुका हो और जिसके उत्तर का किसी तथ्य विषय के संबंध में विषदीकरण आवश्यक हो चाहे उस प्रश्न का उत्तर मौखिक दिया गया हो या पटल पर रखा गया हो :

परन्तु ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर सदन के पटल पर पूर्ववर्ती सत्र में रखे गये हों, के संबंध में अध्यक्ष विशेष अनुमति से आधे घन्टे की चर्चा हेतु सूचना को ग्राह्य कर सकेंगे :

परन्तु यह और भी कि नियत दिन के लिये रखा गया अन्य कार्य नियत समय के पूर्व आधे घन्टे से पहले समाप्त हो जाये तो आधे घन्टे की कालावधि उस समय से प्रारंभ होगी जबकि ऐसा अन्य कार्य समाप्त हो जाय.

(2) जो सदस्य कोई विषय उठाना चाहे वह उस दिन से, जिस दिन कि वह उस विषय को उठाना चाहता हो दो दिन पहले सचिव को लिखित सूचना देगा और संक्षेप में उस बात या बातों का उल्लेख करेगा जिन्हें वह रखना चाहता हो :

परन्तु सूचना के साथ व्याख्यात्मक टिप्पणी होगी जिसमें उस विषय पर चर्चा उठाने के कारण दिये होंगे :

परन्तु यह और भी कि सूचना का समर्थन कम से कम दो अन्य सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर करके किया जायेगा :

परन्तु यह और भी कि अध्यक्ष संबंधित मंत्री की सम्मति से सूचना की कालावधि संबंधी आवश्यकता को हटा सकेगा.

(3) अध्यक्ष विनिश्चित करेगा कि विषय चर्चा के लिये रखे जाने के लिये पर्याप्त लोक महत्व का है या नहीं और किसी ऐसी सूचना को अग्राह्य कर सकेगा जिसका उद्देश्य उसकी राय में शासन की नीति में परिवर्तन करना हो.

(4) यदि दो से अधिक सूचनाएं प्राप्त हुई हों और अध्यक्ष द्वारा ग्राह्य कर ली गई हों, तो सचिव दो सूचनाएं निकालने के लिये शलाका द्वारा निर्णय करेगा और सूचनाएं उस क्रम में रखी जायेंगी जिस समय क्रम में प्राप्त हुई हों :

परन्तु यदि किसी विशेष दिन चर्चा के लिये रखा गया कोई विषय उस दिन न निबटाया जाये तो वह किसी अग्रेतर दिसन के लिये तब तक नहीं रखा जायेगा जब तक कि सदस्य ऐसा न चाहे और उस अवस्था में उस अगले प्राप्य दिन के लिये शलाका में सम्मिलित कर लिया जायेगा.

(5) सभा के सामने न तो कोई औपचारिक प्रस्ताव होगा और न मतदान होगा. जिस सदस्य ने सूचना दी हो वह संक्षिप्त वक्तव्य दे सकेगा और संबंधित मंत्री संक्षेप में उत्तर देगा. जिस सदस्य ने अध्यक्ष को पहले से सूचित कर दिया हो, उसे किसी तथ्य विषय के अग्रेतर विषदीकरण के प्रयोजन से प्रश्न पूछने की अनुज्ञा दी जा सकेगी.